

क्रमांक:- उ०म०अ० (ना०)/ नलग/एस.डी.के./ 2020- 417-420
कार्यालय उप-मंडलाधिकारी (ना०),
नालागढ़, जिला सोलन (हि०प्र०)।

नालागढ़ दिनांक: 08 सितम्बर, 2020

शुद्धिपत्र

यह कि इस कार्यालय के पत्र संख्या: SDM/NLG/SDK/2020- 321-328
दिनांक 29-07-2020 मुताबिक हिमाचल प्रदेश सरकार अधिसूचना न. Rev. Stamp (F) 6-1/2009-III
दिनांक 22-05-2020 द्वारा मुताबिक प्रस्तावना तहसीलदार नालागढ़ के मौजा मंझौली का 100 मीटर से
1000 मीटर दुरी का सर्किल रेट 956 रुपये प्रति वर्ग मीटर अधिसूचित किया गया था।

तहसीलदार नालागढ़ के कार्यालय पत्र संख्या: नलग पन्जी०/2020-132
दिनांक 27-08-2020 को प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने अवगत करवाया कि मौजा मंझौली की 100 मीटर से
1000 मीटर अन्य सड़क की दुरी का सर्किल रेट 956 रुपये प्रति वर्ग मीटर सहवन गलती से लिखा गया
जबकि ग्रामीण राजस्व अधिकारी, मंझौली के माध्यम से सर्किल रेट की प्रस्तावना 456 रुपये प्रति वर्ग मीटर
प्राप्त हुई थी।

अतः भविष्य में मौजा मंझौली की 100 मीटर से 1000 मीटर अन्य सड़क की
दुरी का सर्किल रेट 956 रुपये प्रति वर्ग मीटर के स्थान 456 रुपये प्रति वर्ग मीटर तसब्बर किया जाए।

(महेंद्र पाल गुर्जर भा०प्र०से०),
समाहर्ता उपमंडल नालागढ़
जिला सोलन (हि.प्र.)।
दिनांक:

पृष्ठांकन संख्या: उपरोक्त
प्रतिलिपि निम्नलिखित को वराए सूचनार्थ प्रेषित है :

1. वित्तायुक्त (राजस्व), हिमाचल प्रदेश।
2. निदेशक, भू-अभिलेख, शिमला, हिमाचल प्रदेश।
3. उपायुक्त महोदय, सोलन, जिला सोलन (हि०प्र०)।
4. तहसीलदार, नालागढ़, जिला सोलन (हि०प्र०)।

(महेंद्र पाल गुर्जर भा०प्र०से०),
समाहर्ता उपमंडल नालागढ़
जिला सोलन (हि.प्र.)।
दूरभाष संख्या: 01795-223024.